रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10122021-231746
CG-DL-E-10122021-231746

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 642] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 9, 2021/अग्रहायण 18, 1943
No. 642] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 9, 2021/AGRAHAYANA 18, 1943

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(बायोटेक्नोलॉजी विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2021

सं. आरसीबी/2020/02.—क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केंद्र अधिनियम, 2016 (2016 की 36वीं) के प्रावधानों के अनुपालन में, केंद्रीय सरकार एतद्वारा क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केंद्र की कार्यक्रम सलाहकार समिति की ओर से भारत के राजपत्र सं. आरसीबी/ओआरडी/2017/01 दिनांक 15 सितम्बर, 2017, में प्रकाशित अधिसूचना, में निम्नलिखित संशोधन अधिसूचित करती है:

आरसीबी अध्यादेश के खंड सं. 9.2.6, 10.2.6 और 13.1 निम्नानुसार संशोधित है:

अध्यादेश 9.2.5 में निर्दिष्ट छात्र से अध्यादेश 9.2.5 में निर्दिष्ट पाठयक्रम कार्य में 9.2.6 अष्ट बिंदु मानदंड पर 5.5 की न्यूनतम संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत (सीजीपीए) प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है।

10.2.6 अष्ट बिंदु मानदंड पर क्षेत्रीय केंद्र या मान्यता प्राप्त केंद्र में विज्ञान निष्णात कार्यक्रम में प्रवेश पाने वाले छात्र से अध्ययन बोर्ड द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट पाठयक्रम कार्य में 5.5 की न्यूनतम संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत (सी.जी.पी.ए.) प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है।

13.1 क्षेत्रीय केंद्र या मान्यता प्राप्त केंद्र में विज्ञान स्नातकोत्तर कार्यक्रम का छात्र जिसकी संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत < 5.5 है, या डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कार्यक्रम का छात्र जिसकी संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत <6.5 है, उपाधि प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है और स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम का कोई छात्र जिसकी संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत <6.0 है, डिप्लोमा प्रमाणपत्र के लिए पात्र नहीं होगा।

प्रोफेसर वाई. के. गुप्ता, अध्यक्ष, कार्यक्रम सलाहकार समिति

सुनील कुमार, संयुक्त सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./507/2021-22]

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Biotechnology)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 9th December, 2021

No. RCB/2020/02.—In pursuance to the provisions of the Regional Centre for Biotechnology Act 2016 (36 of2016), the Central Government on behalf of the Programme Advisory Committee, Regional Centre for Biotechnology, hereby notifies the Corrigendum to the following Ordinances published in the Gazette of India vide No. RCB/ORD/2017/01 dated 15th September, 2017:

The RCB Ordinances 9.2.6, 10.2.6 and 13.1 stand amended as follows:

9.2.6 On an eight-point scale, the student referred to in ordinance 9.2.5 is required to secure a minimum Cumulative Grade Point Average (CGPA) of 5.5 in the course work referred to in ordinance 9.2.5.

10.2.6 On an eight-point scale, the student admitted to Master of Science programme in the Regional Centre or Recognized Centre is required to secure a minimum Cumulative Grade Point Average (CGPA) of 5.5 in the course work as specified by the Board of Studies.

13.1 A student of the Master of Science programme with Cumulative Grade Point Average <5.5 or Doctor of Philosophy programme with a Cumulative Grade Point Average <6.5, in the Regional Centre or Recognized Centre is not eligible for graduation and a student of Post Graduate Diploma programme with a Cumulative Grade Point Average <6.0 shall not be eligible for the Diploma Certificate.

Prof. Y. K. Gupta, Chairperson of the Programme Advisory Committee

SUNIL KUMAR, Jt. Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./507/2021-22]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.12.10 10:03:13 +05'30'